

 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)	 क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार Regional Office, Bihar पंचदीप भवन, नेहरू मार्ग, पटना - 800001 PANCHDEEP BHAWAN, NEHRU MARG, PATNA - 800001 फोन: 0612-2533404 इ. मेल: rd-bihar@esic.nic.in वेबसाइट : www.esic.nic.in / www.esic.in
---	--

पत्रांक: 42-A-21/11/1/96/E.III

दिनांक: 30-06-2025

ज्ञापन / Memorandum

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार संसंख्यक पत्र दिनांक: 12.12.2023 के द्वारा एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। पूर्व में गठित समिति को भंग करते हुए क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने एक नई समिति गठित किया है, जिसका विवरण निम्न है:-

An Internal Complaints Committee has been constituted by letter numbered dated 12.12.2023 as per Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013. Dissolving the previously constituted committee, the Regional Director has constituted a new committee, the details of which are as follows:-

SI No.	Committee Members Name	Designation	Remarks
1	डॉ तनुजा कुमारी, चिकित्सा निर्देशी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना	अध्यक्षा	4 (2) (क) के अंतर्गत
2	श्रीमती सुनीता कुमारी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना	सदस्य	4 (2) (क) के अंतर्गत
3	श्री राकेश रंजन तिवारी, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना	सदस्य	4 (2) (क) के अंतर्गत
4	श्री आशीष रंजन, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना	सदस्य	4 (2) (ख) के अंतर्गत
5	डॉ श्रीमती सुमन लाल, संस्थापक अध्यक्ष प्रयास भारती ट्रस्ट	सदस्य	4 (2) (ग) के अंतर्गत

उपरोक्त समिति का कार्यकाल की तिथि से तीन वर्ष या सक्षम पदाधिकारी के आदेश से पुनर्गठन/संशोधन की अवधि तक होगी।

The tenure of the said committee will be for three years from the date of formation or till the period of reconstitution/amendment by order of the competent officer.

उपरोक्त समिति का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों तक होगा।

The jurisdiction of the above committee will be up to the Regional Office, Employees State Insurance Corporation, Patna and its subordinate offices.

उपरोक्त समिति कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

The above Committee will function as per the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

सहायक निदेशक (प्रशासन)/
Assistant Director (Admin)

सेवा में/ Copy To,

उपरोक्त समिति सदस्य/ Said Committee Member

प्रतिलिपि/ Copy To:

1. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारी शरीफ, पटना को सूचनार्थ। एवं इस निवेदन के साथ की उक्त से श्री अनिल कुमार, निजी सचिव, सचिव को अवगत कराया जाए।
2. डीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल, बिहटा, पटना को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक के निजी सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना को सूचनार्थ।
4. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को निवेदन के साथ की उक्त की सूचना श्री अनील कुमार, सहायक निदेशक को अवगत कराया जाए।
5. सभी शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना को इस निर्देश के साथ की वो उनके कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारी को अवगत कराए।
6. सभी चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना को सूचनार्थ।
7. सभी बीमा चिकित्सा अधिकारी, औषधालय सह शाखा कार्यालय, बिहार क्षेत्र को सूचनार्थ।
8. सभी शाखा प्रबंधक, औषधालय सह शाखा कार्यालय/ औषधालय सह शाखा कार्यालय बिहार क्षेत्र को सूचनार्थ।
9. आईटी मैनेजर, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना को इस निर्देश के साथ की वे बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय वेबसाइट में अपलोड करें।
10. नोटिस बोर्ड।